**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 254**
**दिनांक 22 जुलाई, 2025/ 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना**

**†254. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) के अंतर्गत आज की तारीख तक केंद्रीय पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;**

**(ख) उन पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है, जो अभी भी जीवित हैं और उनके वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ग) स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं की संख्या कितनी है, जो वर्तमान में पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं और उनमें से कितनी जीवित हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**

**(घ) उक्त योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता मानदंड और आश्रितों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;**

**(ङ) गत पाँच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी निधि आवंटित और वितरित की गई है; और**

**(च) क्या कोई केंद्रीय कोष है जहाँ सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान का विवरण जनता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यदि नहीं, तो ऐसा डेटाबेस न बनाने के क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क) वर्तमान में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) के अंतर्गत **171689** स्वतंत्रता सेनानियों को केंद्रीय पेंशन प्राप्त हुई है।राज्यवार आंकड़े **अनुलग्नक-I में संलग्न हैं।**

(ख) 13212 पेंशनभोगी जो अभी भी जीवित हैं, एसएसएसवाई सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। **राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।**

**लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025**

(ग) 9778 विधवाएँ/विधुर (पति/पत्नी) जो अभी भी जीवित हैं एवं सम्मान पेंशन प्राप्त कर रही हैं। **राज्यवार आँकड़े अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।**

(घ) इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता मानदंड, तथा आश्रितों के लिए पात्रता मानदंड **अनुबंध-IV में दी गई है।**

(ड़) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के लिए आवंटित एवं वितरित कुल धनराशि निम्नानुसार है:

| **क्रम संख्या** | **वर्ष** | **आवंटित बजट (करोड़ में)** | **वितरित धनराशि (करोड़ में)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | रू 760 | 660.14 |
| 2 | 2021-22 | रू 717 | 717 |
| 3 | 2022-23 | रू 650 | 599.29 |
| 4 | 2023-24 | रू 589 | 539.67 |
| 5 | 2024-25 | रू 600 | 599.29 |

हालाँकि, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के लिए राज्यवार धनराशि का वितरण इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(च) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, "शहीदों का शब्दकोश: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857-1947)" नामक परियोजना के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों की सूची तैयार करता है।

**अनुलग्नक-I**

**लोक सभा अता. प्रश्न स. 254 दिनांक 22.07.2025**

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत आज तक केन्द्रीय पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

| **क्रम संख्या** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है।** |
|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 15286 |
| 2 | तेलंगाना | |
| 3 | असम | 4442 |
| 4 | बिहार एवं | 24905 |
| 5 | झारखण्ड | |
| 6 | गोवा | 1508 |
| 7 | गुजरात | 3599 |
| 8 | हरयाणा | 1692 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 633 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 1807 |
| 11 | कर्नाटक | 10105 |
| 12 | केरल | 3429 |
| 13 | मध्य प्रदेश एवं | 3488 |
| 14 | छत्तीसगढ़ | |
| 15 | महाराष्ट्र | 17974 |
| 16 | मणिपुर | 63 |
| 17 | मेघालय | 86 |
| 18 | मिजोरम | 4 |
| 19 | नागालैण्ड | 3 |
| 20 | उड़ीसा | 4197 |
| 21 | पंजाब | 7042 |
| 22 | राजस्थान | 814 |
| 23 | तमिलनाडु | 4147 |
| 24 | त्रिपुरा | 888 |
| 25 | उत्तर प्रदेश एवं | 18004 |
| 26 | उत्तराखण्ड | |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 22523 |
| 28 | अण्डमान एवं निकोबार | 3 |
| 29 | चण्डीगढ़ | 91 |
| 30 | दादर एवं नगर हवेली | 83 |
| 31 | दमण एवं द्वीव | 33 |
| 32 | संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली | 2048 |
| 33 | पुदुचेरी | 320 |
| 34 | भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) | 22472 |
| | **कुल योग** | **171689** |

**अनुलग्नक-II**

**लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025**

अभी भी जीवित स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय पेंशनभोगियों की कुल संख्या एवं उनका राज्यवार विवरण।

| **क्रम संख्या** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय पेंशनभोगियों की संख्या(स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी/पुत्री)** |
|---|---|---|
| 1. | अण्डमान एवं निकोबार | 1 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 232 |
| 3. | असम | 302 |
| 4. | बिहार | 988 |
| 5. | चण्डीगढ़ | 9 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 24 |
| 7. | दमण एवं द्वीव | 10 |
| 8. | दिल्ली | 109 |
| 9. | गोवा | 406 |
| 10. | गुजरात | 123 |
| 11. | हरयाणा | 232 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 243 |
| 13. | जम्मू व कश्मीर | 355 |
| 14. | झारखण्ड | 84 |
| 15. | कर्नाटक | 758 |
| 16. | केरल | 602 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 123 |
| 18. | महाराष्ट्र | 1543 |
| 19. | मणिपुर | 9 |
| 20. | मेघालय | 7 |
| 21. | मिजोरम | 1 |
| 22. | नागालैण्ड | 0 |
| 23. | उड़ीसा | 239 |
| 24. | पुदुचेरी | 51 |
| 25. | पंजाब | 382 |
| 26. | राजस्थान | 106 |
| 27. | तमिलनाडु | 801 |
| 28. | तेलंगाना | 3017 |
| 29. | त्रिपुरा | 91 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 387 |
| 31. | उत्तराखण्ड | 178 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 1799 |
| 33. | **कुल योग** | **13212** |

**अनुलग्नक-III**

**लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025**

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत अभी भी जीवित एवं पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं/पति/पत्नियों की कुल संख्याओं की सूची:-

| **क्रम संख्या** | **राज्य** | **पेंशनभागी आश्रितों के नाम (जीवनसाथी/विधवाओं/पुत्रियों)** |
|---|---|---|
| 1. | अण्डमान एवं निकोबार | 1 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 180 |
| 3. | असम | 177 |
| 4. | बिहार | 693 |
| 5. | चण्डीगढ़ | 8 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 19 |
| 7. | दमण एवं द्वीव | 6 |
| 8. | दिल्ली | 81 |
| 9. | गोवा | 304 |
| 10. | गुजरात | 81 |
| 11. | हरयाणा | 198 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 199 |
| 13. | जम्मू व कश्मीर | 252 |
| 14. | झारखण्ड | 68 |
| 15. | कर्नाटक | 588 |
| 16. | केरल | 483 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 91 |
| 18. | महाराष्ट्र | 1274 |
| 19. | मणिपुर | 4 |
| 20. | मेघालय | 4 |
| 21. | मिजोरम | 0 |
| 22. | नागालैण्ड | 0 |
| 23. | उड़ीसा | 198 |
| 24. | पुदुचेरी | 35 |
| 25. | पंजाब | 274 |
| 26. | राजस्थान | 101 |
| 27. | तमिलनाडु | 660 |
| 28. | तेलंगाना | 2165 |
| 29. | त्रिपुरा | 56 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 314 |
| 31. | उत्तराखण्ड | 169 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 1095 |
| 33. | **कुल योग** | **9778** |

**अनुलग्नक-IV**

**लोक सभा अता. प्रश्न सं. 254 दिनांक 22.07.2025**

**केंद्रीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड।**

1. वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छह महीने की कैद काटी हो। पूर्व आईएनए कर्मी भी पेंशन के पात्र हैं, यदि उन्होंने छह महीने या उससे अधिक समय तक भारत के बाहर कारावास/नजरबंदी काटी हो। महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, पेंशन की पात्रता के लिए वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि तीन महीने है।
2. कोई व्यक्ति जो छह महीने या उससे अधिक समय तक भूमिगत रहा, बशर्ते कि वह:-
   i. घोषित अपराधी:
   II. वह व्यक्ति जिस पर गिरफ्तारी/सिर के लिए पुरस्कार घोषित किया गया हो,
   iii. वह व्यक्ति जिसका निरोध आदेश जारी किया गया था लेकिन तामील नहीं हुआ

3. ऐसा व्यक्ति जिसे सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत छह महीने या उससे अधिक समय के लिए अपने घर में नजरबंद किया गया हो या अपने जिले से बाहर निकाला गया हो।
4. वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क कर ली गई हो और बेच दी गई हो।
5. ऐसा व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठीचार्ज के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो गया हो।
6. वह व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी (स्थानीय निकाय की नौकरी सहित) खो दी हो।
7. पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए आवेदक को राज्य सरकार द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनकी अनुशंसा भी प्रस्तुत करनी होगी:-

**कारावास की स्थिति में:-**

(क) संबंधित जेल प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से कारावास/नजरबंदी प्रमाण पत्र, जिसमें दी गई सजा की अवधि, प्रवेश की तिथि, रिहाई की तिथि, मामले के तथ्य और रिहाई के कारण दर्शाए गए हों।

**लोकसभा प्रश्नसंख्या- 254 दिनांक 22.07.2025**

(ख) यदि प्रासंगिक अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो स्वतंत्रता सेनानियों से 2 सह-कैदी प्रमाण-पत्र (सीपीसी) के रूप में द्वितीयक साक्ष्य, जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष की जेल यातना सिद्ध की हो और जो आवेदक के जेल में रहने के दौरान हुई पीड़ा पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, दावे और उसकी वास्तविकता का उचित सत्यापन करने के बाद, यह प्रमाणित करे कि दावा की गई पीड़ा के समर्थन में आधिकारिक अभिलेखों से कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि प्रमाणित करने वाला वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है, तो दो के स्थान पर केवल एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

**भूमिगत पीड़ा के मामले में:-**

(क) न्यायालय/सरकार के आदेश के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें आवेदक को भगोड़ा घोषित किया गया हो, उसके सिर पर इनाम घोषित किया गया हो या उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया गया हो या उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया गया हो।

(ख) यदि प्रासंगिक अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिसने कम से कम दो वर्ष की जेल यातनाएं सिद्ध की हों और जो उसी प्रशासनिक इकाई से हो, से प्राप्त व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण पत्र (पीकेसी) के रूप में द्वितीयक साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दावे और उसकी वास्तविकता के समुचित सत्यापन के बाद यह प्रमाणित कर दे कि दावा की गई यातनाओं के समर्थन में आधिकारिक अभिलेखों से दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

**नजरबंदी/निर्वासन के मामले में:-**

कोई व्यक्ति, जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 महीने के लिए अपने घर में नजरबंद किया गया हो या अपने जिले से निर्वासित किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नजरबंदी या निर्वासन के आदेश को आधिकारिक रिकॉर्ड से प्रस्तुत करने की शर्त पर पात्र है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अभाव में, संबंधित प्राधिकारियों से रिकॉर्ड प्रमाणपत्र (एनएआरसी) की अनुपलब्धता के साथ-साथ उन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से प्रमाण पत्र, जिन्होंने स्वयं दो वर्ष या उससे अधिक समय तक कारावास की यातनाएँ झेली हों, प्राप्त किया हो।

**लोकसभा प्रश्नसंख्या- 254 दिनांक 22.07.2025**

**संपत्ति के नुकसान के मामले में:-**

वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क कर बेची गई थी, वह संपत्ति की जब्ती और बिक्री के आदेश प्रस्तुत करने के अधीन पात्र है, बशर्ते कि जिन व्यक्तियों की संपत्ति वापस कर दी गई थी, वे सम्मान पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

**स्थायी अक्षमता की स्थिति में:**-

(क) जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान गोली लगने/लाठीचार्ज के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो गया था।

(ख) विकलांगता के समर्थन में सिविल सर्जन से चिकित्सा प्रमाण पत्र।

**सरकारी नौकरी छूटने की स्थिति में:-**

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी गँवाने वाले व्यक्ति को सेवा से बर्खास्तगी या हटाने के आदेशों के अधीन पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले सेवा में बहाल हो गए थे और लाभ या वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे थे, वे पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

**बेंत मारने/कोड़े मारने के मामले में:**-

वह व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 10 बेंत मारने/लाठियां मारने/कोड़े मारने की सजा दी गई हो, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां आधिकारिक अभिलेखों से प्रस्तुत करने के अधीन पात्र है।

**योजना के तहत पारिवारिक पेंशन और आश्रितों के लिए पात्रता मानदंड**

सम्मान पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से, स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् उसके / उसकी जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है तथा जीवनसाथी की मृत्यु के पश्चात् उसकी अविवाहित पुत्रियों (ऐसी अधिकतम तीन पुत्रियों तक) को आश्रित परिवार पेंशन प्रदान की जाती है।

*******